माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

अति–आवश्यक
उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा–2025 बाबत
समस्त शाला प्रधान बाह्य परीक्षक एवं परीक्षार्थियों
के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 09 जनवरी 2025 से 08 फरवरी, 2025 के मध्य एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनाक 01 फरवरी 2025 से 08 फरवरी 2025 के मध्य सम्पादित की जायेंगी।
2. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों की सामग्री यथा उत्तर–पुस्तिकाएँ, ग्राफ पेपर, ड्रॉइंग शीट्स आदि बोर्ड द्वारा बनाये वितरण केन्द्रों पर भिजवाई जा रही है। शाला प्रधान इन केन्द्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त करावें ।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की विषयवार प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत विषयाध्यापकों से सम्पन्न कराई जायेंगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार परीक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आई.डी. पर भिजवाई जायेगी। संबंधित शाला प्रधान नियुक्त परीक्षकों से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनके विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों का निर्धारण करें।
4. उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ लेने हेतु नियुक्त किया गया है। अतः सभी विद्यालय परीक्षक से सामन्जस्य बैठाकर परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें एवं इसकी सूचना बोर्ड द्वारा प्रदत्त आपके विद्यालय के लॉगिन आईडी पर लॉगिन कर **(प्रैक्टिकल लिंक पर भी अंकित करें)** परीक्षकों की नियुक्ति कम्प्यूटर से रेण्डमली की जायेगी। **यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उसी विद्यालय में होती है तो इसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष पर तुरन्त दी जाये जिससे उनके आवंटन में परिवर्तन किया जा सके।**
5. विद्यालयों में सम्पन्न कराई जाने वाली विषयवार प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर जिला शिक्षा अधिकारी को कम से कम तीन दिवस पूर्व प्रेषित करें तथा साथ ही इसकी सूचना यह/उक्त सूचना जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कक्ष एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर भी देवें। प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण की सूचना विद्यालय द्वारा उनके विद्यार्थियों को सूचित करावें एवं एक प्रति विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा करावें ।
6. **समस्त बाह्य परीक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारम्भ, परीक्षा के दौरान व परीक्षा की समाप्ति की एक–एक सेल्फी फोटोग्राफ बोर्ड की ई–मेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com पर ई–मेल पर प्रेषित करेंगे। ई–मेल के सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक व परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एन्ड्रॉईड फोन में लाईव लॉकेशन एप्स जिसमे दिनांक, समय व स्थान का अंकन होता है यथा जीपीएस मेप कैमरा को इन्सटॉल कर फोटोग्राफ ली जा सकती है।**
7. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक से उसी विद्यालय में लिये जा रहे अन्य बैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जायेगा जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एतद् सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दी जाए।
8. प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किये गये हैं। शाला प्रधान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा में निर्देशों की एक प्रति संबंधित परीक्षक को भी उपलब्ध करावें ।
9. प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन दो बैचों में सम्पन्न करावें किन्तु किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो परीक्षा तीन बैच में भी सम्पन्न कराई जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा में उचित दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाये।

कृ.प.उ.

10. **अनुचित साधन** :– परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, दुराचरण, दुर्व्यवहार आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपार्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्टतः अवगत करा दें व इनका उल्लंघन किये जाने पर दी जाने वाली सजा व शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दे कि इसी के साथ–साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी व नियमानुसार दण्डित होंगे। सूचनापट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में **"अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000/– तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा"** लिख दे। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित है।

11. **मीडिया** :– शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी भी प्रकार की जानकारी/वक्तव्य आदि नहीं दें, न ही किसी भी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी चाहे जाने पर बोर्ड सचिव से सम्पर्क करने हेतु निवेदन कर दे। परीक्षा की समस्त सूचनाएँ गोपनीय रखी जाये।

12. विद्यालय/बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो ऐसी शिकायत/सूचना विवरण सहित तत्समय ही बोर्ड को ई मेल आई. डी. bserconf2018@gmail.com एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 पर सूचित करायें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं शिकायतों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जायेगा। समस्त बाह्य परीक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर आवश्यक रूप से देंगे व उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालयों में नहीं कर बैच की परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये लिंक पर ऑनलाईन अंक भिजवायेंगे तथा उत्तर पुस्तिकाएँ आवंटित बैच के विद्यालयों की परीक्षाएँ आयोजन करने के 07 दिवस में बोर्ड को पंजीकृत डाक/पार्सल अथवा स्पीड पोस्ट से भिजवायेंगे। उ.पु. भिजवाने का रिकॉर्ड परीक्षक अपने पास सुरक्षित रखे।

13. परीक्षक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये गये अंकों की हार्डकॉपी, उपस्थिति पत्रक, कच्चे अंक (परीक्षक द्वारा हस्तलिखित अंक) लिफाफे (क्रमांक 18सी) में रखें। इस लिफाफे को बोर्ड द्वारा भेजे अन्य लिफाफे (लिफाफा क्रमांक 15) में अपना विषय एवं परीक्षक क्रमांक पूर्ण अंकित करते हुए निदेशक (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से तुरन्त भिजवायेंगे।

14. परीक्षक को आवंटित विद्यालयों के बनाये गये बैच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

15. बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण कराया जायेगा। किसी भी विद्यालय अथवा परीक्षक द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करता हुआ पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

16. प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अथवा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 व तकनीकी समस्या (आई.टी. संबंधित) के समाधान हेतु दूरभाष 0145–2632865, 2627454 तथा प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाऐं, ड्राईग शीट्स व ग्राफ के संबंध में दूरभाष संख्या 0145–2623949 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से भी दी जायेगी। अतः समस्त शाला प्रधान एवं नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें। **उपरोक्त सभी निर्देशों की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित करावें।**

निदेशक (गोपनीय)